ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

संजय गवई
SANJAY GAWAI
वित्ताधिकारी
FINANCE OFFICER

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230 906
फैक्स/Fax : + 91-7152-232 994
मोबाइल/Mobile : + 91-95453 35522

फा.सं. 002/2012/MAR/08/2012/1069
दिनांक: 05.10.2012

सूचना

चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली के अनुमोदन के संबंध विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 002/2012/MAR/08/2012, दिनांक 22.08.2012 के तारतम्य में चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

1. कर्मचारी द्वारा चिकित्सक को भुगतान किए गए परामर्श शुल्क की नगद प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रकार के शुल्क का परामर्श पर्चे या प्रमाण–पत्र पर उल्लेख होना प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकार्य नहीं होगा।
2. एलोपेथिक/आयुर्वेदिक/होमियोपेथिक दवाईयाँ केवल अधिकृत कैमिस्ट से ही क्रय की जानी चाहिए। आपात स्थिति में चिकित्सक द्वारा स्वयं के पास से दी गई दवाईयों/इंजेक्शन का नाम, बैच संख्या एवं दवाई की कीमत का चिकित्सक के लेटर हेड पर उल्लेख होना चाहिए। होमियोपेथिक/आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा दी गई दवाईयाँ, जिसमें कि बैच संख्या उपलब्ध नहीं है, पुडिया में या हस्तनिर्मित पैकेट में दी गई हो, तो प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।
3. सामान्य स्वास्थ्य वर्धक टॉनिक्स, बिटामिन्स और सौंदर्य प्रकृति की दवाईयाँ प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं। इस प्रकार की दवाईयों की अधिसूचित और प्रकाशित सूची चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमावली में देखी जा सकती है।
4. चिकित्सा बिल उपचार समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के अंदर प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने चाहिए। यद्यपि, अपरिहार्य परिस्थितियों में देरी से प्रस्तुत किए गए बिल CS (MS) नियमों के अनुसार विचाराधीन होंगे एवं 180 दिनों के बाद प्रस्तुत किए गए बिलों पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे।
5. डायबिटीज, आर्थराइटिस, रक्तचाप, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियों के इलाज के लिए एक परामर्श के अंतर्गत अधिकतम 3 माह की दवाईयाँ संबंधित चिकित्सक द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। इलाज/दवाईयों को जारी रखने की स्थिति में कर्मचारी को तीन माह बाद मरीज के स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी और दवाईयाँ/इलाज को जारी रखने के संबंध में संबंधित चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या नया परामर्श पर्चा प्रस्तुत करना होगा।
6. विश्वविद्यालय द्वारा कभी भी कपटपूर्ण दावों की जाँच हेतु प्रयोग की गई दवाईयों/बॉटल के पर्चे प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को महंगी दवाईयों के पर्चे उनके चिकित्सा दावों के निपटान तक संभालने की आवश्यकता होगी।
7. प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावे विधिवत हस्ताक्षरित, भरे हुए एवं उचित माध्यम से प्राप्त होने पर ही स्वीकार किए जाएंगे।

(संजय गवई)

प्रतिलिपि: 1. कुलपति कार्यालय 3. कुलसचिव कार्यालय 5. अकादमिक विभाग
2. प्रतिकुलपति कार्यालय 4. स्थापना एवं प्रशासन 6. समस्त विभाग/अनुभाग/विद्यापीठ/सूचना पट्ट